न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी – **मदन सिंह चौधरी**, आर.जे.एस.

फौजदारी मूल प्रकरण संख्या – 810 / 2017

सी.आई.एस. – 3559 / 2014

–

राजस्थान राज्य

अप्रार्थी

विरूद्ध

1. जयंति भाई पुत्र मकनाराम, **(मफरूर)**
2. सूकी बेन पत्नी जयंति भाई, उम्र 45 वर्ष, निवासीगण गुंदरी थाना पांथावाड़ा, जिला बनासकांटा, गुजरात हाल गीतांजली टॉकीज के पीछे वराछा रोड़ सूरत, थाना वराछा रोड सूरत, गुजरात।
3. भीखे खां पुत्र गीजा खां, उम्र 50 वर्ष, निवासी दहीपुर, पुलिस थाना रानीवाड़ा, जिला जालोर।
4. कृष्ण पुत्र भूपाजी, निवासी धानोल, पुलिस थाना रानीवाड़ा, जिला जालोर। **(मफरूर)**
5. महादेवाराम पुत्र कस्तूराराम, उम्र 48 वर्ष, निवासी दासपा, पुलिस थाना भीनमाल, जिला जालोर।

अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 420, 120बी भारतीय दंड संहिता।

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी, राजस्थान राज्य की ओर से।
2. श्री बस्तीमल खत्री–अधिवक्ता–अभियुक्तगण सुकी बेन व महादेवाराम की ओर से।
3. श्री रणजीत सिंह भाटी–अधिवक्ता–अभियुक्तगण भीखे खां की ओर से।

–:निर्णयः–

दिनांक :– 25.10.2024

1. प्रकरण में अभियुक्त जयंति भाई व कृष्ण मफरूर है। हस्तगत प्रकरण अन्य अभियुक्त की हद तक निर्णित किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी कपुराराम ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना भीनमाल में इस आशय की पेश की कि हमारे काकाई छोटे भाई ताराराम अविवाहित था जो दांसपा में ही रहता है मुझें महादेवाराम पुत्र कस्तुरजी जाति पुरोहीत निवासी दासपां ने मुझे फोन पर कहां कि तुम्हारा भाई तारारामं अविवाहित है यदी उसकी शादी करवानी है तो मेरे पास एक रिश्ता हैं जहां मेने मेरे साले का विवाह भी उसी घर में किया हुआ है तो मैने कहा यदी परिवार ठिक हो तो मुझे मेरे भाई का विवाह करना हैं तो उसने मुझे कहां कि आप भीखें खॉ मोईला पुत्र गाजी खॉ निवासी दहीपुरा तहसील रानीवाडा से मिलना वह आपका रिश्ता करवा देगा व भीखे खॉ के मोबाईल नम्बर महादेवा ने मुझे दिये जो 9928423294 थें। जिस पर मेने बताये गये नम्बरों पर भीखें खॉ से सम्पर्क किया तो उससे बात हुई उसने हमें बडगांव आने का कहां जिस पर मैं व मेरी भौजाई चन्दर व ताराराम बडगाव गये जहां भीखें खॉ व कृष्ण पुरोहित पुत्र भूपाजी पुरोहित निवासी धानोल मिला इन दोनों ने हमें धानोल लडकि देखने के लिए साथ चलने का कहां तब हम धानोल कृष्णं के यहां गये। कृष्ण ने कहां कि लंडकि संगीता मेरी वेवोण लगती है, फिर हमें लडकि दिखाई लडकि हमे पसंद आई, लडकि का देख कर हमने विवाह तय किया तब शादि कि दिनांक 12–08–2011 को राशि 12 बजे के आसपास हुए। विवाह करते समय भीखे खॉ व कृष्ण पुरोहित ने हमसे विवाह के एवज में अडा कर 3,10,000– अक्षरे तीन लाख दस हजार रूपये ले लिये जो हमने तुरन्त व्यवस्था कर इन्हे दिये क्योकि पैसे नही देने पर उन्होने विवाह करने से मना कर दिया था। विवाह के समय जयन्तिलाल पुत्र मकनाजी पुरोहीत निवासी गुन्दरी ने विवाह के समय संगीतां को लेकर आया व संगीता का अपने आप को काका बताया व जयन्ति के पनि सुखी देवी ने भी संगीता का अपनी भतीजी बताकर विवाह कि रस्में अदा कि व जमाई को बन्धाया (स्वागत का टिका लगाया) व अग्नि के समक्ष फेरे कराया व कन्या दान भी जयन्ति व इसकी पत्नि ने किया। फिर हम 13–08–2011 को सुबह 6 से 7 के बीच में बारात सहीत दासपा आए व देवस्थान फिरे व 14.08.2011 को रात्री करीब 12–1 बजे जब सभी सो गये तो देखा संगीता घर के ताराराम के बडै भाई गोकुल कि पत्नि के गहने सोने चांदी के चुराकर ले गयी। जो सोने का बोर, पेरों के छड़ें वगेरह चोरी कर रात्री में चली गई फिर हमने रात्री में आस पडौस में ढूढा लेकिन नही मिली फिर भीखें खों को फोन किया व कृष्ण को भी फोन किया तो इन्होने कहां कि हमने तो शादी करवा दी तुम नही संभाल सके तो तुम जानों हमें कुछ पता नही तो हमने कहां आप लोगों ने हमें धोखा देकर 3,10,000/ रूपये हडप कर हमारे साथ धोखें से शादी कराई अब पता भी नही बता रहे है। अतः रिपोर्ट पेश कर निवेदन हैं कि इन सभी मुलजिमान भीखें खॉ, कृष्ण पुरोहित, जयन्तिलाल पुरोहित व जयन्ति की पत्नि सुखी देवी व लडकी संगीता ने हमें विवाह करने के नाम से 3,10,000 रूपये ढग लिये एवं घर से मेरी भाभी के गहने चोरी कर चली गई एवं ये मुलजिमान ना तो लडकी का पता बता रहे है और ना ही हमे कुछ भी जानकारी दे रहे है। इन मुलजिमानों ने आपराधिक षंडयंत्र कर हमारे साथ विवाह के नाम से धोखाधडी कर 3,10,000 रू ढग कर ले लिये व गहने चोरी कर भाग गई इसलिए विवाह के नाम से ढगी करने वाले इस गिरोह की करतूतों को उजागर कर इनके विरूद्ध शख्त से शख्त कानूनी कार्यवाही करावें।

2. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना भीनमाल में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 256/2011 अंतर्गत धारा 420, 379 भा.द.स. में दर्ज की गयी। बाद अन्वेषण अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र अपराध अन्तर्गत धारा 420, 120बी भा.द.स. में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बहस प्रसंज्ञान सुनी गई। अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. पत्रावली के आधार पर प्रकरण में अभियुक्तगण को धारा 420, 120बी भा.द.स. के अपराध के आरोप लिखित में विरचित कर सुनाए एवं समझाए तो अभियुक्तगण ने आरोप को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. के अधीन लेखबद्ध किए तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा बचाव साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा। साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना जाहिर करने पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गई।

5. बहस अंतिम उभयपक्षकारान सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक एवं प्रलेखिय साक्ष्य से अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जावें।

6. इसके विपरीत अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन अधिकारी के तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं पाये जाने पर उसे दोषमुक्त घोषित किया जावें।

7. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

8. प्रकरण के निस्तारण के प्रयोजनार्थ न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :—

(1) आया अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 12.08.2011 को सरहद धानोल पर आपराधिक षड़यंत्र विरचित कर परिवादी कपूराराम के काकाई भाई ताराराम की शादी अपनी रिश्तेदार संगीता से करवाने हेतु बेईमानीपूर्वक आशय से परिवादी से तीन लाख दस हजार रूपये हड़पकर छल कारित किया?

2. यदि उपर्युक्त बिन्दु प्रमाणित होता है तो इसके लिए उचित दण्ड क्या होगा?

9. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई जो कि निम्न तालिकाओं में दर्शाये अनुसार हैः—

दस्तावेजी साक्ष्य

प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण	संबंधित गवाह
Exp. 01	फर्द गिरफ्तारी भीखेखां	**Pw 01,12**
Exp. 02	फर्द गिरफ्तारी जयंतिभाई	**Pw 01,12**
Exp. 03	फर्द बरामदगी	**Pw 02,,03,12**
Exp. 04	फर्द नक्शा मौका	**Pw 02,03**
Exp. 05	फर्द गिरफ्तारी कृष्ण कुमार	**Pw 04,12**
Exp. 06	फर्द बरामदगी रूपये	**Pw 05,06,12**
Exp. 07	फर्द बरामदगीस्थल का नक्शा	**Pw 05,06,12**
Exp. 08	तहरीरी रिपोर्ट	**Pw 07**
Exp. 09	पर्चाचाक एफआईआर	**Pw 09**
Exp. 10	फर्द गिरफ्तारी महादेवाराम	**Pw 10,12**
Exp. 11	फर्द गिरफ्तारी सुकी बेन	**Pw 10,12**
Exp. 12&13	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला	**Pw 12**

मौखिक साक्ष्य		
पी. डब्ल्यू. संख्या	**गवाह का नाम**	**गवाह बाबत्**
1	बाबुलाल	**Exp 01,02**
2	रणछोड़ भाई	**Exp 03,04**
3	दिनेश भाई	**Exp 03,04**
4	हुसैन खां	**Exp 05**
5	पदमसिंह महेचा	**Exp 06,07**
6	लक्ष्मण सिंह	**Exp 06,07**
7	कपूराराम	**Exp 08**
8	ताराराम	---
9	दलपतसिंह	**Exp 09**
10	पाताराम	**Exp 10**
11	बगदाराम	**Exp 10**
12	रेवतसिंह	**Exp 01 TO 03, 05 TO 07, 10 TO 13**

10. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 प्रार्थी कपूराराम द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि अभियुक्त महादेवाराम ने उसे फोन पर जाहिर किया कि उसके काकाई छोटा भाई ताराराम की शादी वह करवा सकता है। महादेवाराम ने कपूराराम को बताया की उसने अपने साले का विवाह भी उसी घर में किया है। सहमति जाहिर करने पर महादेवा ने उससे कहा कि तुम भीखे खां से मिल लेना वह आपका रिश्ता करवा देगा। महादेवाराम ने भीखे खां के मोबाईल नंबर 9928423294 दिए। संपर्क करने पर भीखे खां ने उसे बड़गांव आने को कहा जिस पर परिवादी अपनी भोजाई चंदर व अपने भाई ताराराम के साथ बड़गांव आए जहां भीखे खां व कृष्ण पुरोहित मिले जहां से तीनों धानोला लड़की देखने गए। कृष्ण कुमार ने संगीता स्वयं की बहन होना

बताया। लड़की पसंद आने पर विवाह दिनांक 12.08.2011 को होना तय हुआ। विवाह के समय कृष्ण व भीखे खां ने 3,10,000 / — रूपये ले लिए। विवाह के समय जयंतीलाल संगीता को लेकर आया। जयंतीलाल ने स्वयं को संगीता का काका होना बताया। जयंती की पत्नी सुकी देवी ने संगीता को अपनी भतीजी बताकर विवाह की रस्में अदा की। अग्नि के समक्ष फेरे करवाए तथा कन्यादान भी किया। फिर दिनांक 13.08.2011 को सुबह 6 से 7 बजे के बीच परिवादी बारात सहित वापस दासपा आ गए जहां दिनांक 14.08.2011 को जब सभी सो गए तो संगीता ने ताराराम के बड़े भाई गोकुल की पत्नी के गहने चुरा लिए तथा रात्रि को भाग गई। आस—पड़ोस में ढूंढने, भीखे खां, कृष्ण कुमार को फोन किया तो कहा हमने शादी करा दी तुम नहीं संभाल सके तो तुम जानो हमें कुछ पता नहीं। इस प्रकार अभियुक्तगण ने उससे 3,10,000 / — रूपये धोखे से हड़प लिए।

11. इस प्रकार परिवादी द्वारा पेश प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 पर पर्चा चाक एफआईआर 15.08.2011 को दर्ज की गई। दौराने अनुसंधान अभियुक्त भीखे खां से रूपये 50 हजार, अभियुक्त जयंती भाई से 50 हजार रूपये जब्त किए जाने की फर्द जब्ती प्रदर्श पी 6 एवं 3 है।

12. प्रदर्श पी 3 जयंती भाई के संबंध में है। जयंती भाई मफरूर होने के कारण प्रदर्श पी 3 की साक्ष्य में ग्राह्यता का विवेचन बरखिलाफ जयंतीभाई नहीं किया जा रहा है। प्रदर्श पी 6 फर्द जब्ती अभियुक्त भीखे खां है जिसकी मौतबीर गवाह पीडब्ल्यू 5 पदमसिंह द्वारा ताईद अपने मुख्य परीक्षण में की गई है। दौराने जिरह वह स्वीकार करता है कि नोटों पर कोई विशेष चिह्न नहीं था जिससे यह जाहिर हो कि उक्त रूपये परिवादी कपूराराम के ही हो। यह सही है कि प्रदर्श पी 6 पर रूपये भीखे खां के घर से जब्त होने की इबारत नहीं लिखी हुई है। यह कहना गलत है कि भीखे खां के घर से कोई राशि बरामद नहीं हुई हो। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 7 पर किसका कब्जा है वह नहीं बता सकता। प्रदर्श पी 7 में उल्लेखित मकान के दस्तावेजात लिए गए हो तो उसे जानकारी नहीं है। जब्तीस्थल पर भीखे खां की कोई नेम प्लेट नहीं लिखी हुई थी। प्रदर्श पी 7 में उल्लेखित जब्तीस्थल के मालिकाना हक के बारे में सरपंच, पटवारी, ग्राम सेवक से कोई पूछताछ नहीं की थी न ही बरामदगीस्थल के पड़ोसी को मौतबीर बनने के लिए कहा। यह कहना सहीं है कि बरामदगीस्थल पर मैं पहले कभी नहीं गया था। ठीक इसी प्रकार के बयान एवं स्वीकारोक्ति गवाह पीडब्ल्यू 6 द्वारा की गई है। इस प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 5 व 6 अभियोजन पक्ष के अत्यंत महत्वपूर्ण गवाह होने के नाते उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष किए गए अभिकथन हस्तगत मुकदमे की विषय—वस्तु के संबंध में महत्वपूर्ण है।

13. गवाह पीडब्ल्यू 5 एवं 6 द्वारा बरामदगीस्थल अभियुक्त भीखे खां का होने के तथ्य की संदेह से परे पुष्टि नहीं हो पाई है तथा बरामदशुदा राशि परिवादी कपूराराम के होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। न्यायालय के विनम्र मत में किसी भी व्यक्ति के पास से मुद्रा मिलना एक सामान्य तथ्य है जब तक यह मुद्रा किसी विशिष्ट व्यक्ति की होना विशिष्ट साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हो पाता है तब तक यह कहना उचित नहीं होगा कि बरामदशुदा राशि वहीं है जो परिवादी द्वारा अदा की गई थी या परिवादी की हो।

14. गवाह पीडब्ल्यू 7 कपूराराम है जो कि शिकायतकर्ता है जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अभिकथनों की ताईद की गई है। दौराने जिरह वह स्वीकार करता है कि शादी के कार्ड जल्दबाजी के कारण नहीं छपवाए। वह संगीता को पहले से नहीं जानता है। जयंती की पत्नी सुकी को भी पहले से नहीं जानता। यह कहना सही है कि गांव की महिलाओं ने दुल्हे का स्वागत किया था उसमें से एक सुकी एवं कृष्ण की पत्नी थी। यह कहना सही है कि हमें सुकी ने शादी करने को नहीं कहा था बल्कि महादेवाराम ने कहा था। यह कहना सही है कि उसके भाई ताराराम संगीता को पहले से नहीं जानता था। विवाह की विडियोग्राफी व फोटोग्राफी नहीं करवाई थी। विवाह के फेरे कृष्ण पुरोहित, भीखे खां एवं जयंती ने करवाए थे। इन्हीं तीनों ने महाराज बनकर मंत्र पढ़े थे। शादी कौनसी तिथी, तारीख, वार, महीने में हुई मैं नहीं बता सकता अजखुद कहा कि वर्ष 2011 में हुई थीं यह कहना सही है कि विवाह के कपड़ों व आभूषणों के बिल पुलिस के सामने नहीं दिए थे। पुलिस में मेरे कोई बयान नहीं हुए वह पुलिस की मेरे से कोई पूछताछ नहीं की थी। गवाह को पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 पढ़कर सुनाया तो पुलिस में देना स्वीकार किया। पुलिस बयान में 3,10,000/– रूपये केवल कृष्ण कुमार को देने ही क्यों लिखा है पता नहीं। यह कहना सही है कि संगीता देवी द्वारा उसके भाई ताराराम को नींद की गोली देने व पाईप से उतरकर भाग जाने की बात पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 व प्रदर्श 8 में नहीं लिखवाई थी। जिस जगह शादी हुई वह घर कृष्ण का था लेकिन यह बात उसने पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 एवं प्रदर्श 8 में नहीं लिखाया था। प्रदर्श डी 2 एवं 8 में नोटों का विवरण भी नहीं लिखा हुआ था। गहने के बिल भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं है। अजखुद कहा कि वह गहने उसकी भोजाई के पुराने गहने थे इस कारण से बिल पेश नहीं है। यह कहना सही है कि संगीता द्वारा गहने लेकर भाग जाने के बात उसने प्रदर्श पी 8 में नहीं लिखाई है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 8 में क्या लिखा है मुझे पता नहीं। मैंने तो केवल हस्ताक्षर किए थे। यह कहना सही है कि संगीता के मां बाप व उसकी गौत्र का पता नहीं है। संगीता एवं ताराराम के विवाह का कोई फोटो नहीं है। भीखे खां से किस तारीख व कौन से फोन नंबर से बात हुई याद नहीं है। महादेवाराम के मोबाईल नंबर भी याद नहीं है। संगीता एवं ताराराम के विवाह से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं है। यह कहना सही है कि संगीता किस जाति की है हमें पता नहीं है। किस जगह की है हमें पता नहीं। हमनें संगीता का आधार कार्ड या पहचान पत्र नहीं लिया था। यह कहना सही है कि नोटों का सिरियल नंबर हमें पता नहीं है।

15. अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह पीडब्लयू 8 ताराराम है जिसका विवाह किया जाना अभिकथित है। गवाह द्वारा मुख्य परीक्षण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अभिकथनों की ताईद की गई है। दौराने जिरह वह स्वीकार करता है कि उसकी जिस लड़की के साथ शादी हुई उसकी फोटोग्राफ, विडीयाग्राफी नहीं हुई। फेरे किस महाराज ने करवाए उसे याद नहीं। शादी किस तारीख को हुई याद नहीं। लड़की के माता–पिता एवं गांव का नाम उसे याद नहीं है। जिस लड़की से शादी हुई उसे पहले से नहीं जानता था। शादी में लड़की के माता–पिता थे या नहीं उसे पता नहीं। फिर कहा गांव के दूसरे लोग लड़की के माता–पिता बने थे। मैंने पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 में कृष्ण कुमार, महादेवाराम, सुकी देवी, जयंतीलाल व भीखे खां को 3,10,000/– रूपये देने की बात बताई पता नहीं

क्यों नहीं लिखी। शादी का कार्ड नहीं छपवाया था। कपड़ों एवं गहनों का बिल नहीं पेश किया है।

16. गवाह पीडब्ल्यू 10–11 पक्षद्रोही रहे हैं। गवाह पीडब्ल्यू 12 अनुसंधानकर्ता है जिसके द्वारा संपूर्ण अनुसंधान की ताईद अपने मुख्य परीक्षण में की गई है। दौराने जिरह वह स्वीकार करता है कि जिस जगह शादी होना बताया उस जगह का मौका नहीं देखा। शादी के बाद तथाकथित दुल्हन संगीता के घर आने का मौका भी नहीं देखा। यह कहना सही है कि बरामदशुदा 50,000/– रूपये के नोटों के नंबर मैंने अंकित नहीं किए थे। संगीता हमें दस्तयाब नहीं हुई। यह कहना सही है कि संगीता बतौर मुलजिम एफआईआर में शामिल नहीं होने से मैंने धारा 173/8 सीआरपीसी के तहत अनुसंधाान पैंडिंग रखा है।

17. इस प्रकार संपूर्ण अभियोजन कहानी के संदर्भ में पेश समस्त गवाहान के बयानात का अध्ययन एवं अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि घटनास्थल का कोई ब्यौरा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। घटनास्थल के अस्तित्व के बारे में अनुसंधानकर्ता द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गयाा है। अभियुक्त भीखे खां से जब्तशुदा राशि परिवादी द्वारा अदा किए जाने की कोई पहचान स्थापित नहीं है। तथाकथित दुल्हन संगीता का अस्तित्व प्रमाणित नहीं है। विवाह का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तथाकथित दुल्हान संगीता को अभियुक्त भी नहीं बनाया गया है न ही उसके अस्तित्व के संबंध में कोई अनुसंधान किया गया है। इस कारण से संगीता नाम की किसी महिला का अस्तित्व प्रमाणित नहीं है। विवाहस्थल का अस्तित्व प्रमाणित नहीं है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्त भीखे खां से 50,000/– रूपये जब्त किए जाने के आधार पर संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को प्रमाणित मानकर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप–पत्र पेश किया गया है। न्यायालय के विनम्र मत में तथाकथित दुल्हन संगीता के अस्तित्व के संबंध में भी कोई अनुसंधान नहीं किया तथा बिना शादी के प्रमाण जुटाए महज 50,000/– हजार रूपये की जब्ती प्रदर्शित कर देने मात्र से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं को जाता है। अतः अभियुक्त **भीखे खां, सुकी देवी व महादेवाराम** के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420, 120बी भादस में युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाने पर उसे संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:<u>आदेश</u>:–

15. अभियुक्तगण सूकी बेन पत्नी जयंति भाई, उम्र 45 वर्ष, निवासीगण गुंदरी थाना पांथावाड़ा, जिला बनासकांटा, गुजरात हाल गीतांजली टॉकीज के पीछे वराछा रोड़ सूरत, थाना वराछा रोड सूरत, गुजरात, भीखे खां पुत्र गीजा खां, उम्र 50 वर्ष, निवासी दहीपुर, पुलिस थाना रानीवाड़ा, जिला जालोर, महादेवाराम पुत्र कस्तूराराम, उम्र 48 वर्ष, निवासी दासपा, पुलिस थाना भीनमाल, जिला जालोर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420, 120बी भादस में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

16. अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। इसके साथ ही धारा 437ए के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब करने पर

अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पांच हजार रूपए की जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका न्यायालय में पेश कर तस्दीक करावे।

14. प्रकरण में अभियुक्त जयंति भाई व कृष्ण मफरूर में है, अतः पत्रावली के सरबरक पर लालस्याही से इस आशय का नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण में उक्त मुलजिम मफरूर होने से पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावे।

(मदन सिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल, जिला जालोर

17. निर्णय दिनांक 25.10.2024 को लिखवाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया।

(मदन सिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल, जिला जालोर